

(2)

सम्पत्ति का नाम (सम्पत्तियों की सूची) -

दिनांक: / / 2018

सम्पत्ति के स्वामी पति/पुत्री/पत्नी अशोक शर्मा
 पते/पते पति/पत्नी और अभिलेख के सम्पत्ति (अग्रज, भवन, बैंक बिल, आदि) के द्वारा अधोलिखित है -

(क) प्रत्येक सम्पत्ति का विवरण :-
 (सम्पत्ति का विवरण की सीमा बर्न इतना करने वाले सम्पत्ति का नाम व सम्पत्ति की की जानी चाहिए।)

क्र. सं.	विवरण	रकबा	पत्नी	आकृति-1	आकृति-2	जमिनी-3
I.	भूखण्ड					
II.	बैंक, वित्तीय संस्थानों और बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में जमा	5002		00	00	
III.	शेयर, बंधन, कम्पनियों में	00		00	00	
IV.	अन्य वित्तीय संस्थान, एन.एफ.सी, एल.आर.सी, पॉलिसी, आदि।	00				
V.	मोटर्स वाहन, आदि।	00				
VI.	आयुष्मान् (वेलफेयर एवं प्रतिभान मूल्य का विवरण देना।)	20002				
VII.	अन्य सम्पत्तियाँ, जैसे कि दाता, हितों का मूल्यांकन	00				

नोट- सूचीबद्ध सम्पत्तियों के संबंध में स्टॉक एक्सचेंज में नवीनतम बाजार मूल्य के अनुसार बॉंड/शेयर / डिपॉजिटों का मूल्य और सूचीबद्ध के मामलों में पुस्तकों के अनुसार ही जानी चाहिए।
 निर्भर का अर्थ यह है की प्रतिनिधी के आय का पर्याय रूप से निर्भर व्यक्ति है।

(संख्या का रूप में सीमा की सीमा के अंतर्गत होने वाले संयुक्त स्थानों को दर्शाया जाना चाहिए।)

क्र.सं.	विवरण	रकम	जमी	विकास-1	विकास-2	विकास-3
I.	बूट्टे भूमि-स्थान (स्थानीय) सी. संख्या-विस्तार (कुल भू-वर्तमान बाजार मूल्य)	50	00	00		
II.	बूट्टे भूमि-स्थान (स्थानीय) सी. संख्या-विस्तार (कुल मूल्य)-वर्तमान बाजार मूल्य	00	00	00		
III.	भूदान (दायित्विक/अवैतनिक स्थान (स्थानीय) सी. संख्या-मकान संख्या-विस्तार (कुल मूल्य)-वर्तमान बाजार मूल्य	20000	00			
IV.	मकान, अपार्टमेंट आदि। स्थान (स्थानीय) मकान संख्या-विस्तार (कुल मूल्य)-वर्तमान बाजार मूल्य	00	00			
V.	अन्य (जैसे सम्पत्ति में रुचि)	00	00			

2. निम्नलिखित सार्वजनिक देयकरियाँ और सरकारी इकाय राशि के लिए अपनी देयकरियों/अतिदेय के बंधों नीचे देना है-

क्र.सं.	विवरण	वित्तीय संस्थान/विकास (पं.सं.)	राशि (रु.)
I.	बैंकों से ऋण	00	
II.	वित्तीय संस्थानों से ऋण	00	
III.	सरकारी देय राशि (अ) सरकारी आकत से निपटने वाले विभागों का बकाया। (ब) पानी की आपूर्ति से निपटने वाले विभागों का बकाया। (ग) विजली की आपूर्ति से निपटने वाले विभागों का बकाया। (घ) प्रोटेक्शन / नोबाईल से निपटने वाले विभागों का बकाया। (ङ) सरकारी परिवहन से निपटने वाले विभागों का बकाया।	00	
	(ख) (i) अधिभार सहित आयकर निर्धारित या अंकित करे जिस पर अपूर्ण रिटर्न दाखिल किया गया है। स्थायी खाता सं. PAN भी है।	00	
	(ii) पन कर (निर्धारित वर्ष जिस सम्पत्ति पर रिटर्न दाखिल किया गया है)	00	
	(iii) बिक्री कर (क्रयक मालिकाना धर्मस्वार्थ के मामले में)	00	
	(iv) सम्पत्ति कर	00	

